संख्या-सा-3-[illegible]426/दस-98-[illegible]/98

प्रेषक,

आलोक रंजन,
सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 1998

विषय :- दिनांक- 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण ।

महोदय,

शासनादेश संख्या-सा-3-1443/दस-930/83, दिनांक-15-12-1983 में सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद-520 अथवा अन्यथा पुनर्योजित सरकारी सेवकों के पुनर्योजन की शर्तें निर्धारित की गई थी । पुनर्योजन के कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें सरकारी सेवक दिनांक- 1-1-1996 को या उसके उपरान्त से पुनर्योजित हैं। कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक- 23-12-1997 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक- 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित की गई है जबकि उनका अन्तिम आहरित वेतन पुनरीक्षित नहीं हुआ है। इसी कारण पुनर्योजन की अवधि में वेतन निर्धारित करने में बहुत से मामलों में कर्मचारी की पेंशन की धनराशि उनके पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम के निकट अथवा उससे भी अधिक आ रही है जिसके फलस्वरूप पुनर्योजन की अवधि में वेतन निर्धारण करने में वेतन की धनराशि नगण्य के बराबर आ रही है।

2- पुनर्योजन की अवधि में वेतन निर्धारण की उक्त समस्या के निराकरण के लिए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक -1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित सरकारी सेवकों के मामले में वेतन एवं भत्तों का

---2

निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाए :-

कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक-23-12-1997 की व्यवस्था के अधीन दिनांक- 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण करने में निम्नलिखित अंश सम्मिलित किए गए हैं :-

(1)- पेंशन

(2)- मंहगाई राहत जैसा कि मंहगाई के 1510 मूल्य सूचकांक अर्थात् 148%, 111% एवं 96% जैसी भी स्थिति हों, के बराबर स्वीकृत ,

(3)- अन्तरिम राहत प्रथम किश्त,

(4)- अन्तरिम राहत द्वितीय किश्त

(5)- पेंशन की धनराशि का 40 % अतिरिक्त जोड़कर ।

उपरोक्तानुसार आगणन के आधार पर जो धनराशि आएगी वही पुनरीक्षित पेंशन मानी गई है। अतएव दिनांक- 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त/पुनरीक्षित सरकारी सेवकों का जो वेतन सेवानिवृत्ति की तिथि को था उसमें सेवानिवृत्ति की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ता, अन्तरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किश्त तथा वेतन की धनराशि का 40% अतिरिक्त जोड़कर, जो धनराशि आएगी वही उनका अन्तिम वेतन मान लिया जाए तथा उक्त धनराशि से दिनांक- 1-1-1996 से पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि घटाकर जो धनराशि शेष आये वह वेतन के रूप में अनुमन्य करा दी जाये । इस प्रकार आगणित वेतन + पेंशन की धनराशि पर दिनांक- 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त लागू नए फार्मूले के आधार पर मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

3- पुनर्योजन की अवधि में पेंशन की धनराशि पर मंहगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी ।

4- उपरोक्त व्यवस्था लागू होने के उपरान्त जैसी भी स्थिति होगी, उसके अनुसार समायोजन / देयों का भुगतान कर दिया जाएगा ।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
सचिव, वित्त ।

---3

संख्या-सा-3- 1261 1/दस-98-70वि/98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3- विधान सभा / विधान परिषद सचिवालय ।
4- राज्यपाल सचिवालय ।
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- समस्त कोषाधिकारी , उत्तर प्रदेश ।
7- समस्त सचिव / प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
8- समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश ।
9- [illegible]

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
संयुक्त सचिव